Form No-III

फर्द अहकाम

अज अदालत संभागीय आयुक्त, जोधपुर

उनवान भवंरलाल वगैरह **बनाम** सांवलाराम वगैरह

किस्म मुकदमा राजस्व अपील, **अपील संख्या**........156......../2025

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12–02–2025	पत्रावली पेश हुई। राजस्व (ग्रुप–1) विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना कमांक प.9 (21) राज–1 /2024–(10) दिनांक 29.12.2024 के द्वारा पाली सम्भाग को निरस्त किया जाकर मूल सम्भाग जोधपुर में सम्मिलित किया गया है। उक्त अधिसूचना के क्रम में हस्तगत पत्रावली न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, पाली से स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुई है जो दर्ज रजिस्टर की गई। विद्वान अधिवक्ता श्री चैनसिह राजपुरोहित ने अपीलाण्ट की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अपीलाण्ट की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री चैनसिंह ने प्रार्थना पत्र अपील विड्रो का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विचाराधीन पत्रावली में उभय पक्षकारान् के मध्य राजीनामा होने से प्रकरण को आगे नही चलाना चाहते है। अतः पत्रावली को जरिये विड्रो खारिज फरमाया जावे। जिस पर विड्रो प्रार्थना–पत्र एवं पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। विड्रो का प्रार्थना–पत्र अपीलाण्ट भंवरलाल वगैरह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अपील पर गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र अपील विड्रो का स्वीकार किया जाकर अपील जरिये विड्रो खारिज की जाती हैं। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।	

न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

संभागीय आयुक्त
जोधपुर